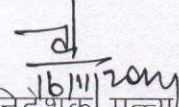


प्रस्तावित मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि० के निबन्धन हेतु विभागीय अधिकारियों एवं मा०
कैबिनेट मंत्री (मत्स्य) के अनुमोदनोपरान्त संशोधित चेकलिस्ट

क्र०सं०	बिन्दु	
1	समिति निबन्धन हेतु सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि	
2	उपविधि एवं निबन्धन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर से प्रार्थना-पत्र कब जारी किया गया है तथा चालान का विवरण	
3	समिति के गठन हेतु आर्गनाइजर किसको और कब नियुक्त किया गया।	
4	समिति के गठन की प्रथम बैठक का एजेण्डा, दिनांक, स्थान एवं कार्यवृत्त का विवरण	
5	समिति के दूसरी बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त की तिथि एवं विवरण।	
6	समिति की तीसरी बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त की तिथि एवं विवरण।	
7	क्या बैठकों का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने का प्रमाण उपलब्ध है अथवा नहीं ?	
8	मुख्य प्रवर्तक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र संलग्न किया जाए, जिसमें उल्लिखित हो कि सभी प्रस्तावित सदस्य समिति के कार्यक्षेत्र के ही निवासी हैं।	
9	निबन्धन प्रमाण-पत्र एवं उपविधि भलीभांति भरा होने तथा निबन्धन प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर आर्गनाइजर एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया गया है अथवा नहीं ?	
10	प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम अंशपूंजी 100/- तथा प्रवेश शुल्क 10/- जमा होने की रसीद संलग्न है अथवा नहीं।	
11	समिति द्वारा सचिव नियोजित किये जाने एवं शैक्षिक योग्यता का विवरण।	

↓
जय (F) 1000

12	नदियों पर प्रस्तावित समितियों के लिए विभाग द्वारा चिन्हांकित खण्डों की सूची संलग्न है अथवा नहीं ? तालाब के लिए केवल 2.00 हे० के ऊपर के तालाब की खतौनी संलग्न है अथवा नहीं ?	
13	प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र से समिति में शामिल किये गये कुल मछुआ समुदाय के सदस्यों की संख्या सूची संलग्न है अथवा नहीं ?	
14	प्रत्येक सदस्य का उपविधि के मानक के अनुसार पात्रता प्रमाण-पत्र संलग्न है अथवा नहीं ?	
15	बिचौलिया न होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है अथवा नहीं ?	
16	सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा कार्ययोजना एवं वायवेल्टी रिपोर्ट तैयार की गयी।	
17	समिति के प्रपत्र 01 के अनुसार फोटोयुक्त सदस्यों की सूची सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूची पृथक-पृथक जाति प्रमाण-पत्र एवं सदस्यों का घोषणा-पत्र	
18	उस न्याय पंचायत में पूर्व निबंधित समिति का विवरण	
19	प्रस्तावित समिति के कुल जल क्षेत्र का विवरण	
20	कुल अंशपूंजी की धनराशि (रु० में)	
21	न्यूनतम सदस्यों की संख्या (27)	
22	एक परिवार से एक ही व्यक्ति को सदस्य बनाया जायेगा, परन्तु एक ही घर में रह रहे हों तो उनके परिवार का भोजन अलग-अलग चूल्हे में बनता हो और परिवार रजिस्टर में नाम अलग हो।	
23	क्या नदी पर निबंधित होने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा नदी को खण्डों में बांटा गया है अथवा नहीं ?	


 उप निदेशक मत्स्य
 सहकारिता
 मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश